न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 64/18 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. श्री मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जी महाराज विराजमान ग्राम मोलावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर जरिये महंत हजारीदासजी महाराज

:----- अपीलांट

बनाम

1 मामचन्द पुत्र लेखराज
2 मूलचन्द पुत्र लालचंद
3 लाली देवी पत्नि लालचन्द
4 ,सुमन पुत्री लालचंद
5 शर्मिला पुत्री लालचंद जातियान अहीरान निवासीयान ईश्वरसिंह–पुरा तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान
6 शेरसिंह पुत्र छाजूराम
7 राजेन्द्र पुत्र छाजूराम
8 लाली पुत्री छाजूराम
9 अंगूरी पुत्री छाजूराम
10 बिमला पुत्री छाजूराम जाति बावरिया निवासीयान ईश्वरीसिंहपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर
11 भूरी देवी पत्नि रामसिंह
12 सतीश पुत्र रामसिंह
13 नब्बा पुत्र रामसिंह
14 सुमन पुत्री रामसिंह जातियान गूर्जर निवासीयान ग्राम काली पहाडी तहसील नीमराना जिला अलवर
15 कृष्ण कुमार पुत्र प्रभूदयाल

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

16 शीशराम पुत्र प्रभूदयाल जातियान गूर्जर निवासीयान ग्राम काली पहाडी तहसील नीमराना जिला अलवर

17 संजय गाडन पुत्र ईश्वरीसिंह जाति गाडन निवासी 20, गणेश नगर, जयपुर जिला जयपुर राजस्थान

18 सत्यवीर पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर

19 अनिल पत्नी राजकुमार

20 चिन्नू पुत्र राजकुमार

21 हरीश पुत्र श्योदान जातियान जाट निवासीयान ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:-------- रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर, नीमराना दिनांक 12.6.2018

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री निर्मल कुमार जैन

2. वकील रेस्पो0 :- श्री अनिल प्रजापत

निर्णय दिनांक 5.12.2019

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 654/2015 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 12.6.2018 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री 108 मूर्ति मंदिर सीताराम जी महाराज विराजमान ग्राम मोलावास तहसील मुण्डावर है, जिनके महंत हजारीदास है, जो मूर्ति मंदिर की सेवा पूजा करते हैं । मूर्ति मंदिर को पूर्व राज्य रियासत नीमराना जिला ने गत खसरा नम्बर 21 रकबा 9 बीघा 17 भूड अव्वलि बारानी सरकारी लगान 6.50 रूपये खुद काश्त वाके ग्राम ईश्वरीसिंहपुरा तहसील नीमराना रियासत नीमराना भोग खर्च हेतु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

दी थी । उपरोक्त माफी के बाएतमास महंत प्रहलाद दास चेला मुरलीदास कौम बैरागी साकिन मोलावास जरिये मिसल नम्बर 41 सम्वत 1977 तारीख फैसला 17.9.1921 स्वीकार हुआ । आराजी साबिक खसरा नम्बर 159 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा का हाल नम्बर 162 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा कायम हुये । इसके बाद हाल नम्बर 266, 267, 268, 265/520 कायम हुये हैं । राजस्व कर्मचारियों ने साजबाज होकर साबिक खसरा नम्बर 159 वाके ग्राम ईश्वरीसिंहपुरा की बाबत ज्ञानचन्द पुत्र टोडाराम निस्फ प्रतापसिंह पुत्र डालूराम निस्फ का अंकन कर दिया गया । इसके बाद ज्ञानचन्द के पुत्र महेन्द्र ने विरासत का इन्तकाल दर्ज करवा लिया । इसके बाद आराजी खसरा नम्बर 159 की बाबत सहायक कलेक्टर बहरोड में हरदयाल वगैरा बनाम महेन्द्र वगैरा नामक वाद चला, जो दिनांक 6.5.74 को डिक्री हुआ, जिसकी पालना में खसरा नम्बर 162 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा में से 5 बीघा 18 बिस्वा हरदयाल वगैरा के नाम तथा 3 बीघा 19 बिस्वा छाजूराम के नाम इन्तकाल नम्बर 31 स्वीकार हो गया । बंदोबस्त सम्वत 2042-61 में आराजी खसरा नम्बर 162 के हाल नम्बर 266, 267, 268, 265/520 कायम हुये । हरदयाल वगैरा ने विवादित भूमि में से रकबा 5 बीघा 18 का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 29.5.2006 को प्रतिवादीगण रामसिंह वगैरा को बेच दिया । इसके बाद उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 11 को बेच दी गई । जबकि उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है । प्रतिवादीगण इस गलत इन्द्राज की आड में वादी प्रार्थी को बेदखल करने और आराजी को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है । अतः उन्हें पाबन्द किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील प्रार्थी अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट एवं अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 21 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा पूर्व राज्य रियासत नीमराना ने मंदिर के भोग खर्च हेतु दी थी । जिसका अंकन रेकार्ड में हो गया । इस आराजी का नया नम्बर 159 कायम हुआ, जिसको सम्वत 2012 में गलत तौर पर ज्ञानचन्द वगैरा के नाम दर्ज कर दिया गया । फिर इनके वारिसान के नाम यह भूमि आ गई । सन 1974 में हरदयाल वगैरा ने सहायक कलेक्टर बहरोड से उक्त भूमि की बाबत एकतरफा में डिक्री प्राप्त कर

भू-प्रबन्ध [illegible] एवं पदेन
[illegible] अपील अधिकारी, [illegible]

ली । जबकि इनका कब्जा भी नहीं था । डिक्री की इजराय कराकर इन्होंने प्रतिवादीगण को भूमि बेच दी । उक्त वाद में हम पार्टी नहीं थे । तहत न्यायालय ने मेरे प्रार्थना पत्र की मन्शा ही नहीं समझी । मैंने रिसीवर कायम करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) प्रस्तुत किया था । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया और अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निर्णय कर दिया । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि विवादित भूमि मूर्ति मंदिर की है, जिस पर प्रतिवादी रेस्पो0 ने कब्जा कर रखा है । जबकि विधिक कब्जा मूर्ति मंदिर का ही है । मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग होती है, जिसकी भूमि अगर कोई नाजायज कब्जा करता है या भूमि को खुर्दबुर्द करने पर उतारू होता है तो उस स्थिति में रिसीवर कायम कर देना चाहिये, जैसा कि 1999 आर0 आर0 डी0 पेज 475, 65 में अभिनिर्धारित किया गया है । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि हम विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार हैं । यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार के खिलाफ टी0 आई0 जारी नहीं की जा सकती । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि किसी रिकार्डेड खातेदार की भूमि पर रिसीवर भी कायम नहीं किया जा सकता । अगर प्रोपर्टी इन मिडियो है तो ही रिसीवर कायम किया जा सकता है । विवादित भूमि प्रोपर्टी इन मिडियो नहीं है । बल्कि हमारी खातेदारी की भूमि है, जिस पर हम काबिज है । विवादित भूमि में इनका राईट है अथवा नहीं, यह मूल वाद में तय हो जायेगा । इनका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 सारहीन पाया गया था, इसलिये तहत अदालत द्वारा सही तौर पर खारिज किया गया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । विद्वान वकील अपीलांट ने विवादित भूमि के अपने स्वामित्व के बिन्दू पर तर्क दिये हैं, जिस बिन्दू का निस्तारण मूल वाद में होना है । इसके अलावा वकील अपीलांट का मुख्य तर्क यह भी है कि उन्होंने तहत अदालत में रिसीवर कायम कराने हेतु धारा 212 (2) आर0 टी0 एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, परन्तु तहत अदालत ने धारा 212 (2) के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित नहीं किया, बल्कि धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का

अलवर

निर्णय पारित कर दिया । इस सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि वादी अपीलांट ने तहत अदालत में विवादित भूमि पर रिसीवर कायम कराने हेतु धारा 212 (2) आर0 टी0 एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । परन्तु विद्वान तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.6.2018 धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के सम्बन्ध में पारित कर दिया, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता । जब प्रार्थी अपीलांट ने तहत अदालत में धारा 212 (2) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था तो निर्णय भी धारा 212 (2) के सम्बन्ध में ही पारित करना चाहिये था । इतना ही नहीं, विद्वान तहत न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा नम्बर 06 में जो विवेचन किया है वह विवेचन की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि उक्त विवेचन में प्रार्थी अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही अंकित कर दिया गया है और अन्त में यह अंकित कर दिया गया कि न्यायालय का सम्यक समाधान है कि प्रार्थी ने किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा वर्णित नहीं की है, इसलिये कोई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है । विद्वान तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय ना तो स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में आता है और ना ही स्पीकिंग के अनुसार पारित किया गया है अर्थात प्रार्थी अपीलांट ने रिसीवर कायम करने की प्रार्थना की थी और निर्णय कर दिया अस्थाई निषेधाज्ञा का । इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम धारा 212 (2) आर0 टी0 एक्ट के सम्बन्ध में निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.6.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिपेषित किया जाता है कि वो प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर0 टी0 एक्ट पर उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । उभयपक्ष को निर्देश दिये जाते हैं कि वो वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 6.1.2020 को उपस्थित हो ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमल राम मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर